केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 08.01.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/11
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00011
CICOM/R/2017/01287

अपीलकर्ता : श्री दिनेश कुमार शर्मा, उप-निरीक्षक (एम),
डी.आई.जी.पी. कार्यालय, जी.सी.,
सी.आर.पी.एफ., टी इस्टेट, दमदमिया,
साल बगान, अगरतल्ला, पश्चिम त्रिपुरा,
त्रिपुरा – 799012.

निर्णय की तारीख : 08.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	14.10.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.11.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.12.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.10.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से एल.आई.सी., हल्द्वानी से संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना में स्पष्ट लिखा है कि "आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है" साथ ही सूचना प्राप्ति हेतु प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने की प्रक्रिया का विवरण भी श्री ए. के. शर्मा द्वारा दिया गया है जो कि विल्कुल तथ्यानुरूप है, इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

09/01/18

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
09 JAN 2018
D.N.
Initials